Centre for Agricultural Technology Assessment and Transfer
ICAR-Indian Agricultural Research Institute, New Delhi – 110012

IARI Farmers' Awards - 2026

IARI recognizes the innovations of the farmers and every year during the Pusa Krishi Vigyan Mela, **IARI Innovative Farmer** award is bestowed upon 25-30 farmers, and "**IARI Fellow Farmer**" award is conferred upon a few outstanding farmers based upon their valuable contributions in generation and dissemination of innovations in agriculture.

IARI invites applications of the deserving innovative farmers for "**IARI Innovative Farmer**" and "**IARI Fellow Farmer**" awards for the Year-2026, which will be conferred during the forthcoming Pusa Krishi Vigyan Mela to be organized during last week of February, 2026. The proforma for application can be downloaded from the following link:

A. IARI Innovative Farmer award
B. IARI Fellow Farmer award

Application as per the prescribed proforma with recent passport size photograph, duly forwarded by nominating authority may kindly be sent to following address latest by **15th January, 2026**:

Dr. R.N. Padaria
Jt. Director (Extension)
ICAR-Indian Agricultural Research Institute; New Delhi – 110012
Email: jd_extn@iari.res.in
Phone (O): 011-25842387

Important Instructions:

- The farmers, who have already received **IARI-Innovative Farmer** award, will not be considered for the same award again, however they can apply for **IARI-Fellow Farmer award after at least one year gap**.
- Applications for the two awards should be sent as per the separate application formats.
- Selected farmers for the awards will be communicated for participation in the award ceremony.
- Application must be recommended through any of the following authorities, failing which, the application will be summarily rejected:
  - *Director of ICAR Institutes*
  - *Vice Chancellors or Directors of Extension of SAUs, CAUs, Deemed Universities, Agricultural Universities*
  - *Director, ATARI, ICAR*
  - *Director of Agriculture / Horticulture / Animal Husbandry / Fisheries / Sericulture of State Departments*
  - *Head KVKs*

  Duly recommended applications with scanned images of original signed and stamped documents should be sent as hard copy or by e-mail by the nominating authority.

कृषि प्रौद्योगिकी आकलन एवं स्थानांतरण केंद्र
भा.कृ.अनु.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली - 110012

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कृषक पुरस्कार - 2026

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, कृषकों के नवाचारों को महत्ता देता है तथा व्यावहारिक कृषि प्रौद्योगिकियों एवं तकनीकों को विकसित और प्रसारित करनेवाले प्रतिभावान कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष पूसा कृषि विज्ञान मेले में लगभग 25-30 उन्नतशील किसानों को उनके नवाचार सृजन और प्रसार में उत्कृष्ट योगदान के लिए **भाकृअनुसं-नवोन्मेषी किसान** और **भाकृअनुसं-अध्येता किसान** पुरस्कारों से सम्मानित करता है । भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वर्ष 2026 के **भाकृअनुसं-नवोन्मेषी किसान** और **भाकृअनुसं-अध्येता किसान** पुरस्कारों के लिए योग्य नवोन्मेषी कृषकों के आवेदन आमंत्रित करता है, जिन्हें फरवरी अंतिम सप्ताह 2026 के दौरान आयोजित होने वाले पूसा कृषि विज्ञान मेले में प्रदत्त किया जाएगा। आवेदन पत्र का प्रोफार्मा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं:

1. **भाकृअनुसं-नवोन्मेषी किसान पुरस्कार**
2. **भाकृअनुसं-अध्येता किसान पुरस्कार**

संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार, पासपोर्ट साइज फोटो के साथ भली-भांति भरा एवं निर्धारित सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुशंसित आवेदन पत्र अधिकतम 24 जनवरी 2025 तक निम्न पते पर प्राप्त होना चाहिए:

डॉ रवीन्द्र नाथ पडारिया
संयुक्त निदेशक (प्रसार)
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012
ईमेल : jd_extn@iari.res.in
फोन (कार्या): 011-25842387

महत्वपूर्ण निर्देश:

- वे किसान, जिन्हें पहले **भाकृअनुसं-नवोन्मेषी किसान** पुरस्कार मिल चुका है, उन्हें इस पुरस्कार के लिए दुबारा नहीं चुना जाएगा। तथापि वे **भाकृअनुसं-अध्येता किसान** पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं तथापि इसमें **कम से कम 1 वर्ष का अंतराल अवश्य** होना चाहिए।
- दोनों पुरस्कारों के लिए अलग-अलग उपयुक्त आवेदन भर कर भेजें।
- चुने गए किसानों को पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने के लिए सूचना यथासमय दी जाएगी।
- आवेदन निम्न में किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित होनी चाहिए। ऐसा न होने पर आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा :
    - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के निदेशक
    - राज्य कृषि वि.वि. के कुलपति या निदेशक प्रसार
    - निदेशक, अटारी, भा.कृ.अनु.परिषद
    - राज्य सरकार के कृषि / बागवानी / पशुपालन / मात्स्यिकी / रेशम विभागों के निदेशक
    - अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र

  उपरोक्त प्राधिकारी अपने कार्यक्षेत्र से योग्य किसानों के लिए प्रपत्र के अनुसार भरा हुआ, साक्ष्यांकित दस्तावेजों सहित नामांकन (ईमेल अथवा हार्ड कॉपी) भेज या अग्रेषित कर सकते हैं। ईमेल से भेजी जाने वालीस्थिति में मूल हस्ताक्षरित दस्तावेजों की स्कैन छवियाँ कृपया संलग्न करें।